

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-55/14

जीसीएमएस नं. 2014/00653

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 10.06.2014

उनवान

जगराम पुत्र बाबू जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन जिला
करौली

वादीगण-03

बनाम

दामोदर पुत्र बल्ली जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन जिला
करौली राज0

प्रतिवादीगण-05

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 55/14 जगराम बनाम दामोदार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

